(1)

130

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. /2018 निगरानी

I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2018/02293

श्री पी. के. तिवारी एड.
द्वारा आज दि. 9-4-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 3-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 9-4-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

9-4-18

पंची पुत्र देवलाल जाति– आदिवासी सहरिया, पेशा– खेती, निवासी– ग्राम मामौनी खुर्द, तहसील– करैरा जिला- शिवपुरी (म.प्र.) ....अपीलांट

बनाम

1. दुर्गसिंह पुत्र आशाराम लोधी, पेशा- नौकरी, विद्युत विभाग पोंहरी, निवासी- ग्राम उमरी तहसील पिछोर, हाल निवासी– वार्ड नम्बर 15 रामजानकी मन्दिर रोड़, करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी

.... अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 08.02.2018 द्वारा पारित अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी प्र.क्र. 113/16–17 अपील एवं आदेश दिनांक 14.08.96 द्वारा पारित तहसीलदार करैरा के प्र.क्र. 354/94–95–अ–19

महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य :–

1. यहकि, ग्राम मामौनी खुर्द तहसील करैरा में स्थित आराजी सर्वे क्र. 785 रकबा 3.00 हेक्टेयर जो कि वर्ष 1984–85 में से 1997–98 ताल पोखर पटवारी कागजात में दर्ज होता चला आ रहा है। परन्तु बिना काबिल कास्त किये एवं बिना कलेक्टर की अनुमति के वर्ष 1998–99 में अनावेदक क्र.1 द्वारा अपना नाम दर्ज करा लिया है। जबकि आवेदक आदिवासी है एवं काबिज होकर अपने पूर्वजों के समय से खेती करता चला आ रहा है तथा अनावेदक क्र. 1 शासकीय कर्मचारी है। आवेदक को उक्त इन्द्राज की जानकारी तब हुई जब दिनांक 12.04.2017 को आवेदक द्वारा बोई गेहूं की फसल को अनावेदक क्र. 1 द्वारा जबरन काटने का प्रयास किया तब आवेदक तत्काल तहसील न्यायालय गया तो पता चला कि अनावेदक क्र. 1 द्वारा गलत तरीके से अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करा लिया है। तत्पश्चात

कार्यालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर
आवक प्रवि. क्र. 2018
पृष्ठ क्र. 01 सं. 013
दिनांक 09/04/18
हस्ताक्षर व नाम

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- एक/निग./शिवपुरी/भू.रा./2018/02293

पंछी विरुद्ध दुर्ग सिंह एवं म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक-113/2016-17/अपील में पारित आदेश दिनांक 08/02/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 19/7/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 28/5/19 सदस्य	